Journal of East-West Thought
ISSN: ***2168-2259 (online)***
(https://jetjournal.us/)
Volume15, Issue 1, Jan-March–2025 Special Issue 1

JOURNAL OF EAST-WEST THOUGHT

ImpactFactor:7.665, Peer Reviewed and UGCCARE I

हरियाणा सामान्य पंचायती चुनावों में जिला परिषद् सदस्यों का प्रतिनिधित्व : एक विश्लेषण

डॉ॰ अजीत (सहायक प्रोफेसर)
लोक प्रशासन विभाग,
चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द (हरियाणा)
e-mail : ajitsharmamdu@gmial.com

सार :

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। आज भी यहाँ जनसंख्या का एक बड़ा भाग गांवों में निवास करता है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है ऐसा हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं को त्रिस्तरीय ढ़ांचे में वर्गीकृत किया गया है :– जिला परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन या बेहतर प्रशासन की स्थापना का मार्ग पंचायती राज संस्थाओं से होकर गुजरता है। आधुनिक जिला परिषद् संस्थाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है जिससे जिला परिषद् संस्थाएँ नवीन अवतार में हमारे सम्मुख हैं। हरियाणा राज्य में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम्, 1992 के पश्चात् जिला परिषद् सामान्य चुनाव वर्ष 1994, 2000, 2005, 2010, 2016 और 2022 में संपन्न हुए हैं। प्रस्तुत प्रपत्र हरियाणा पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य चुनावों में निर्वाचित (जिला परिषद्) सदस्यों को लिंगानुसार अनुसार विश्लेषित करता है। यह विश्लेषण द्वितीय स्त्रोत् हरियाणा सामान्य पंचायती राज चुनावों के राजपत्र पर आधारित है। जिसका मुख्य उद्देश्य जिला परिषद् में निर्वाचित सदस्यों के लिंगानुसार प्रतिनिधित्व को दर्शाना है।

विशेष शब्द : जिला परिषद्, सामान्य चुनाव, प्रतिनिधित्व, लिंगानुसार वर्गीकरण

भूमिका :

हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952, पंजाब पंचायत समिति अधिनियम् 1961 और जिला परिषद् अधिनियम्, 1961 के अर्न्तगत की गई।[i] वर्ष 1966 से लेकर जून 1973 तक पंजाब पैट्रन पर बलवन्त राय मेहता मॉडल अपनाते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू की गई। गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लाक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषदों की स्थापना की गई। वर्ष 1971 में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम् में बंसीलाल सरकार के द्वारा परिर्वतन किया गया, ग्राम स्तर पर सरपंच पद के चुनाव का अधिकार पंचों को दिया गया। वर्ष 1978 में देवीलाल सरकार ने पंचों से सरपंच बनाने के अधिकार को छीनकर वापिस मतदाताओं को दे दिया और पंचायत में एक महिला सीट की अनिवार्यता तय की गई।[ii] वर्ष 1972 के पंचायती राज चुनावों के पश्चात्, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में सुधार के लिए माडू सिंह मलिक की अध्यक्षता में एक तदर्थ समिति की नियुक्ति की गई। इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने 1973 में जिला परिषदों को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इनकी सिफारिशों के अनुसार जिला परिषदें जिला प्रशासन के प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रही थी और पंचायत समितियों व जिला परिषदों के कार्यों में दोहरावपन व्याप्त था। वर्ष 1973 से लेकर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के लागू होने तक राज्य में द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली कार्यरत रही। राज्य में राजनैतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति के अभाव में समय पर इन संस्थाओं के चुनाव नहीं करवाए गए व राजनैतिक कारणों से इनको भंग किया गया। इनको अपर्याप्त शक्तियाँ तथा वित्तिय संसाधन प्रदान किए गए। राज्य में ग्राम पंचायतों के चुनाव वर्ष 1971, 1978, 1983, 1988 तथा पांचवी बार 1991 में सम्पन्न करवाए गए। पंचायत समितियों के चुनाव वर्ष 1972, 1983 और 1991 में हुए। जिला परिषदों के चुनाव एक बार वर्ष 1972 में सम्पन्न हुए, 1973 में जिला परिषदों को भंग कर दिया गया, इन्ही कारणों से पंचायती राज संस्थाएँ स्थानीय स्तर पर वांछित परिणाम देने में असफल रही। भजनलाल सरकार ने वर्ष 1991 में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल घटा कर पाँच वर्ष से तीन वर्ष कर दिया था। हरियाणा पंचायती राज संस्थाओं को अधिक शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य ने अपना नया कानून

Copyright©|JETNetwork,AllRights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: *2168-2259 (online)*
(https://jetjournal.us/)
Volume15, Issue 1, Jan-March–2025 Special Issue 1
ImpactFactor:7.665, Peer Reviewed and UGC CARE I

"हरियाणा पंचायती राज अधिनियम्" 1994 बनाया, जो अप्रैल 1994 से प्रभावी हुआ। 24 अगस्त, 1994 को हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियमावली, 1994 की रचना की गई तथा इसके पश्चात् 16 फरवरी, 1995 को हरियाणा पंचायती नियम, 1995 अधिसूचित किया गया।[iii]

प्रथम सामान्य पंचायती राज चुनाव :

केंद्र स्तर पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के लागू होने के पश्चात हरियाणा राज्य ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 पारित किया। अधिनियम पारित होने के पश्चात प्रथम हरियाणा पंचायती राज सामान्य चुनाव दिंसबर 1994 में तीन चरणों दिनांक 11,15 और 19 को सम्पन्न करवाए गए।[iv]

तालिका : 1

जिला परिषद् सदस्यों की श्रेणी व लिंगानुसार प्रस्तुति

क्र.सं.	जिलों के नाम	कुल सदस्य संख्या	जिला परिषद् सदस्य					
			सामान्य		अनुसूचित जाति		पिछड़ी जाति	
			पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	भिवानी	23	11	7	3	1	1	
2.	कुरूक्षेत्र	13	6	3	2	1	1	
3.	सिरसा	18	8	4	3	2	1	
4.	कैथल	17	7	5	3	1	1	
5.	यमुनानगर	14	5	4	3	1	1	
6.	हिसार	30	14	8	5	2	1	
7.	अंबाला	18	8	4	3	2	1	
8.	जींद	20	8	5	4	2	1	
9.	करनाल	19	9	5	3	1	1	
10.	रेवाड़ी	13	6	3	2	1	1	
11.	गुरूग्राम	24	13	7	2	1	1	
12.	सोनीपत	21	10	6	3	1	1	
13.	फरीदाबाद	18	9	5	2	1	1	
14.	रोहतक	28	15	7	3	2	1	
15.	महेन्द्रगढ़	15	8	4	1	1	1	
16.	पानीपत	12	6	3	1	1	1	
	कुल	**303 (100%)**	**143(47.20%)**	**80(26.40%)**	**43(14.19%)**	**21(6.10%)**	**16(5.28%)**	

स्त्रोत् : हरियाणा सरकार, *रिपोर्ट ऑन जनरल इलेक्शन टू दी पंचायती राज इंस्टीट्यूट इन हरियाणा* (राज्य निर्वाचन आयोग, पंचकूला), 1994, पृष्ठ संख्या 120

तालिका 1 में प्रथम पंचायती राज सामान्य चुनाव, 1994 की जिला परिषदों में आरक्षित पदों को श्रेणी अनुसार दर्शाया गया है। निर्वाचित जिला परिषदों में कुल 303 पद हैं। जिनमें सामान्य वर्ग के पुरूषों के लिए 143 (47.20%) और 80 (26.40%) महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये। अनुसूचित जाति वर्ग से

Copyright©|JETNetwork,AllRights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: 2168-2259 (online)
(https://jetjournal.us/)
Volume15, Issue 1, Jan-March–2025 Special Issue 1
ImpactFactor:7.665, Peer Reviewed and UGC CARE I

पुरूषों के लिए 43 (14.19%) व 21(6.10%) रखे गये। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16 (5.28%) पद आरक्षित रखे गये।

दूसरा सामान्य पंचायती राज चुनाव :

द्वितीय हरियाणा पंचायती राज सामान्य चुनाव दिसंबर 1999 में सम्पन्न होने थे, किन्तु ये चुनाव वर्ष 2000 में दो चरणों 12 और 19 मार्च को सम्पन्न करवाए गए क्योंकि जून 1999 में तैयार की गई मतदाता सूची को अंबाला जिले के मतदाताओं के द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।[v]

तालिका : 2

जिला परिषद् सदस्यों की श्रेणी व लिंगानुसार प्रस्तुति

क्र.सं.	जिलों के नाम	कुल सदस्य संख्या	जिला परिषद् सदस्य					
			सामान्य		अनुसूचित जाति		पिछड़ी जाति	
			पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	फतेहाबाद	13	5	2	3	2	1	
2.	भिवानी	24	12	3	6	2	1	
3.	कुरूक्षेत्र	13	5	2	4	1	1	
4.	सिरसा	17	7	3	4	2	1	
5.	कैथल	17	8	2	4	2	1	
6.	यमुनानगर	14	5	3	4	1	1	
7.	हिसार	23	11	3	6	2	1	
8.	पंचकूला	10	4	1	3	1	1	
9.	अंबाला	13	5	2	3	2	1	
10.	जींद	20	9	3	6	1	1	
11.	करनाल	19	9	3	5	1	1	
12.	रेवाड़ी	13	5	2	4	1	1	
13.	गुरूग्राम	24	13	2	7	1	1	
14.	सोनीपत	21	10	3	6	1	1	
15.	फरीदाबाद	18	9	2	5	1	1	
16.	रोहतक	13	5	2	4	1	1	
17.	झज्जर	15	7	2	4	1	1	
18.	महेन्द्रगढ़	15	7	2	5	0	1	
19.	पानीपत	12	6	1	3	1	1	
	कुल	**314** (100%)	**142** (45.22%)	**43** (13.70%)	**86** (27.39%)	**24** (7.65%)	**19** (6.06%)	

स्त्रोत् : हरियाणा सरकार, *रिपोर्ट ऑन जनरल इलेक्शन टू दी पंचायती राज इंस्टीट्यूट इन हरियाणा* (राज्य निर्वाचन आयोग, पंचकूला), 2000, पृष्ठ संख्या 171

Copyright©|JETNetwork,AllRights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: 2168-2259 (online)
(https://jetjournal.us/)
Volume15, Issue 1, Jan-March–2025 Special Issue 1
ImpactFactor:7.665, Peer Reviewed and UGC CARE I

तालिका 2 में द्वितीय पंचायती राज सामान्य चुनाव, 2000 की जिला परिषदों में आरक्षित पदों को श्रेणी अनुसार दर्शाया गया है। निर्वाचित जिला परिषदों में कुल 314 पद हैं। जिनमें सामान्य वर्ग के पुरूषों के लिए 142 (45.22%) और 43 (13.70%) महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये। अनुसूचित जाति वर्ग से पुरूषों के लिए 86 (27.39%) व 24 (7.65%) रखे गये। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 19 (6.06%) पद आरक्षित रखे गये।

तीसरा सामान्य पंचायती राज चुनाव :

तृतीय पंचायती राज सामान्य चुनाव वर्ष 2005 में दो चरणों 3 और 9 अप्रैल को सम्पन्न करवाया गया। चुनाव को सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने के लिए 17823 मतदान केन्द्र बनाए गए और 71044 मतदान कर्मचारियों की डयूटी लगाई गई थी।[vi]

तालिका : 3

जिला परिषद् सदस्यों की श्रेणी व लिंगानुसार प्रस्तुति

क्र.सं.	जिलों के नाम	कुल सदस्य संख्या	जिला परिषद् सदस्य					
			सामान्य		अनुसूचित जाति		पिछड़ी जाति	
			पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	फतेहाबाद	17	7	4	3	2	1	
2.	भिवानी	29	14	8	4	2	1	
3.	कुरूक्षेत्र	15	7	3	2	2	1	
4.	सिरसा	21	9	5	4	2	1	
5.	कैथल	19	9	5	2	2	1	
6.	यमुनानगर	18	8	4	3	2	1	
7.	हिसार	29	14	7	4	3	1	
8.	पंचकूला	10	4	3	1	1	1	
9.	अंबाला	17	7	4	3	2	1	
10.	जींद	24	12	6	3	2	1	
11.	करनाल	23	11	6	3	2	1	
12.	रेवाड़ी	16	7	5	2	1	1	
13.	गुरूग्राम	30	17	9	2	1	1	
14.	सोनीपत	24	12	6	3	2	1	
15.	फरीदाबाद	25	12	7	3	2	1	
16.	रोहतक	15	7	4	2	1	1	
17.	झज्जर	18	9	5	2	1	1	
18.	महेन्द्रगढ़	18	9	5	2	1	1	
19.	पानीपत	16	7	5	2	1	1	
	कुल	**384** (100%)	**182** (47.40%)	**101** (26.30%)	**50** (13.0%:)	**32** (8.34%)	**19** (4.95%)	

स्त्रोत् : हरियाणा सरकार, (2005). *रिपोर्ट ऑन जनरल इलेक्शन टू दी पंचायती राज इंस्टीट्यूट इन हरियाणा* (राज्य निर्वाचन आयोग, पंचकूला), 2005, पृष्ठ संख्या 59

Copyright©|JETNetwork,AllRights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: *2168-2259 (online)*
(*https://jetjournal.us/*)
Volume15, Issue 1, Jan-March–2025 Special Issue 1
ImpactFactor:7.665, Peer Reviewed and UGC CARE I

तालिका 3 में तृतीय पंचायती राज सामान्य चुनाव, 2005 की जिला परिषदों में आरक्षित पदों को श्रेणी अनुसार दर्शाया गया है। निर्वाचित जिला परिषदों में कुल 384 पद हैं। जिनमें सामान्य वर्ग के पुरूषों के लिए 182 (47.40%) और 101 (26.30%) महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये। अनुसूचित जाति वर्ग से पुरूषों के लिए 50 (13.02%) व 32 (8.34%) रखे गये। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 19 (4.95%) पद आरक्षित रखे गये।

चौथा पंचायती राज सामान्य चुनावः

चतुर्थ पंचायती राज सामान्य चुनाव दो चरणों में 6 और 10 जुलाई, 2010 को सम्पन्न करवाया गया। चुनाव में सिरसा जिला 92.20% मतदान के साथ प्रथम पायदान पर रहा और सबसे कम 81 प्रतिशत मतदान के साथ मेवात जिला निचले पायदान पर रहा। चुनाव में कुल मतदान 85.80% रहा। चुनाव को सफल सम्पन्न करवाने के लिए 19358 मतदान केंद्र बनाए गए।[vii]

तालिका : 4

जिला परिषद् सदस्यों की श्रेणी व लिंगानुसार प्रस्तुति

क्र.सं.	जिलों के नाम	कुल सदस्य संख्या	जिला परिषद् सदस्य					
			सामान्य		अनुसूचित जाति		पिछड़ी जाति	
			पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	फतेहाबाद	17	5	5	1	4	2	
2.	भिवानी	29	14	8	4	2	1	
3.	कुरूक्षेत्र	15	7	2	2	2	2	
4.	सिरसा	21	6	4	4	2	5	
5.	कैथल	19	8	5	2	2	2	
6.	यमुनानगर	16	1	4	3	2	6	
7.	हिसार	28	4	8	3	4	2	
8.	पंचकूला	10	3	3	1	1	2	
9.	अंबाला	14	3	2	4	4	1	
10.	जींद	24	12	6	3	2	1	
11.	करनाल	22	8	6	3	2	3	
12.	रेवाड़ी	16	0	2	2	2	10	
13.	गुरूग्राम	10	1	1	1	1	6	
14.	सोनीपत	24	11	6	4	2	1	
15.	फरीदाबाद	10	2	3	1	1	3	
16.	रोहतक	14	6	4	2	1	1	
17.	झज्जर	18	9	5	2	1	1	
18.	महेन्द्रगढ़	18	9	5	2	1	1	
19.	पानीपत	14	3	7	1	2	1	
20.	नूंह	18	10	6	0	1	1	
21.	पलवल	17	8	5	2	1	1	
	कुल	**374** (100%)	137 (36.6%)	97 (25.9%)	47 (12.6%)	40 (10.7%)	53 (14.2%)	

स्त्रोत् : हरियाणा सरकार, (2010). *रिपोर्ट ऑन जनरल इलेक्शन टू दी पंचायती राज इंस्टीट्यूट इन हरियाणा* (राज्य निर्वाचन आयोग, पंचकूला)

Copyright©|JETNetwork,AllRights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: 2168-2259 (online)
(https://jetjournal.us/)
Volume15, Issue 1, Jan-March–2025 Special Issue 1
ImpactFactor:7.665, Peer Reviewed and UGC CARE I

तालिका 4 में चतुर्थ पंचायती राज सामान्य चुनाव, 2010 की जिला परिषदों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को दर्शाया गया है। निर्वाचित जिला परिषदों में कुल 374 पद हैं। चुनी गई जिला परिषदों में 137 (36.6%) पुरूष और 97 (25.9%) महिलाएँ सामान्य वर्ग से चुनी गई। अनुसूचित जाति वर्ग से पुरूष 47 (12.6%) व 40 (10.7%) महिलाएँ चुनी गई। अन्य पिछड़ा वर्ग से 53 (14.2%) पुरूष और महिला निर्वाचित हुई। निर्वाचन में भिवानी 29 व हिसार 28 सदस्यों के साथ अग्रणीय जिले रहे।

पाँचवा सामान्य पंचायती राज चुनाव :

पाँचवें पंचायती राज आम चुनाव हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2015 में होने थे। हरियाणा सरकार के द्वारा निर्धारित नई पात्रता शर्तों के कारण इन्हें 7 सितंबर, 2015 को सर्वोच्च न्यायायल में चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पश्चात् पाँचवा हरियाणा पंचायती राज सामान्य चुनाव 10, 17 व 24 जनवरी, 2016 को तीन चरणों में संपन्न करवाया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा पंचायत चुनावों में शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता को सही ठहराकर न्यायपालिका की दूरदृष्टिता का प्रदर्शन किया है। ग्राम पंचायत उम्मीदवारों के लिए पात्रता शर्तें निर्धारित करके सकारात्मक पहल की गई है। पात्रता शर्तों में पंचों के सन्दर्भ में सामान्य वर्ग की महिलाओं एवं अनुसूचित जाति के पुरूषों लिए शैक्षणिक योग्यता आठवीं रखी गई है। अनुसूचित जाति की महिला पंचों के लिए पांचवीं और अन्य सभी वर्गों के प्रतिनिधियों के लिए दसवीं कक्षा पास की योग्यता निर्धारित की गई है। दूसरी शर्त यह है कि चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीद्वार के घर में संचालित शौचालय का होना आवश्यक है। तीसरी योग्यता शर्त के रूप में कोई भी वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है, जो सहकारी बैंक के लोन का कर्जदार है। चौथी शर्त में वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता जिसने बिजली के बिल का निरन्तर भुगतान न किया हो। पांचवी व अन्तिम योग्यता के रूप में वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता जो दस वर्ष व उससे अधिक की सजा के प्रावधान वाले मामलों में अपराधी हो। अतः यह कहा जा सकता है कि यदि राजनीति के प्राथमिक स्तर पर सुयोग्य व स्पष्ट व्यक्तिव के प्रतिनिधि सार्वजनिक कल्याण के क्षेत्र में निर्वाचित होते हैं तो ऊपर के स्तरों में सुधार होना सम्भव है। अन्य चुनावों की तरह इस चुनाव में भी सिरसा जिला 91.3% मतदान के साथ प्रथम पायदान पर रहा और सबसे कम 82.8% मतदान के साथ सोनीपत जिला सबसे निचले पायदान पर रहा। चुनाव में कुल 86.4% मतदान हुआ। चुनाव को सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने के लिए 21476 मतदान केन्द्र बनाए गए।[viii]

तालिका : 5

जिला परिषद् सदस्यों की श्रेणी व लिंगानुसार प्रस्तुति

क्र.सं.	जिलों के नाम	कुल सदस्य संख्या	जिला परिषद् सदस्य					
			सामान्य		अनुसूचित जाति		पिछड़ी जाति	
			पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	फतेहाबाद	18	6	5	3	3	1	0
2.	भिवानी	30	11	12	2	4	0	1
3.	कुरूक्षेत्र	17	4	4	4	1	3	1
4.	सिरसा	24	8	4	4	4	3	1
5.	कैथल	21	5	8	3	2	1	2
6.	यमुनानगर	18	7	2	3	3	1	2
7.	हिसार	30	12	8	4	3	2	1
8.	पंचकूला	10	2	2	1	1	3	1
9.	अंबाला	15	5	3	3	2	2	0
10.	जींद	26	9	7	3	4	3	0
11.	करनाल	25	6	9	3	3	2	2
12.	रेवाड़ी	18	6	4	0	4	4	0
13.	गुरूग्राम	15	4	2	2	1	4	2

Copyright©|JETNetwork,AllRights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: *2168-2259 (online)*
(*https://jetjournal.us/*)
Volume15, Issue 1, Jan-March–2025 Special Issue 1
ImpactFactor:7.665, Peer Reviewed and UGC CARE I

14.	सोनीपत	23	8	8	1	3	3	0
15.	फरीदाबाद	18	4	3	1	1	1	0
16.	रोहतक	14	6	4	1	2	1	0
17.	झज्जर	19	8	7	2	1	1	0
18.	महेन्द्रगढ़	20	2	4	1	2	8	3
19.	पानीपत	17	5	4	4	4	1	2
20-	मेवात	25	10	9	1	0	4	1
21.	पलवल	21	7	2	0	5	6	1
	कुल	**416** (100%)	**135** (32.5%)	**111** (26.7%)	**46** (11.1%)	**50** (12%)	**54** (13%)	**20** (4.8%)

तालिका 5 में पांचवें पंचायती राज सामान्य चुनाव, 2016 की जिला परिषद्ों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को दर्शाया गया है। निर्वाचित जिला परिषद्ों में कुल 416 पद हैं। चुनी गई जिला परिषद्ों में 135 (32.5%) पुरूष और 111 (26.7%) महिलाएँ सामान्य वर्ग से चुनी गई। अनुसूचित जाति वर्ग से पुरूष 46 (11.1%) व 50 (12%) महिलाएँ चुनी गई। अन्य पिछड़ा वर्ग से पुरूष 54 (13%) और 20 (4.8%) महिला निर्वाचित हुई। निर्वाचन में भिवानी 30 व हिसार 30 सदस्यों के साथ प्रथम जिले रहे।

छठा सामान्य पंचायती राज चुनाव 2022 :

हरियाणा में छठे सामान्य पंचायती राज चुनाव से पूर्व प्रदेश सरकार ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में, पांचवें सामान्य पंचायती राज चुनाव की तरह कुछ नए प्रावधान जोड़ें हैं जिसमें महिलाओं के लिए ऑड–ईवन फॉर्मले के आधार पर 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित किया जाना एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आठ प्रतिशत आरक्षण कि व्यवस्था किए जाने का प्रावधान किया गया है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में किए गए संशोधनों को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायलय में चुनौती दी गई थी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायलय ने सवा साल से लंबित पड़े पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को नवीन प्रावधानों के साथ कराने की अनुमति दी। अतः छठे हरियाणा सामान्य पंचायती राज चुनाव वर्ष 2022 में तीन चरणों में पूर्ण हुए। इस चुनाव में जिला परिषद्ों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को तालिका 6 के माध्यम से दर्शाया गया है।

तालिका : 6

जिला परिषद् सदस्यों की श्रेणी व लिंगानुसार प्रस्तुति

क्र.सं.	जिलों के नाम	कुल सदस्य संख्या	जिला परिषद् सदस्य					
			सामान्य		अनुसूचित जाति		पिछड़ी जाति	
			पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1.	फतेहाबाद	18	6	5	3	3	0	1
2.	भिवानी	22	8	7	3	2	1	1
3.	कुरूक्षेत्र	17	7	4	2	2	0	2
4.	सिरसा	24	6	7	4	4	2	1
5.	कैथल	21	6	8	3	2	2	0
6.	यमुनानगर	18	5	5	3	3	1	1
7.	हिसार	30	10	10	4	3	2	1
8.	पंचकूला	10	3	4	1	1	1	0
9.	अंबाला	15	4	5	3	2	1	0
10.	जींद	25	9	8	3	3	1	1
11.	करनाल	25	10	9	0	3	3	0
12.	रेवाड़ी	18	6	7	2	2	1	0
13.	गुरूग्राम	10	4	4	1	1	0	0
14.	सोनीपत	24	9	8	3	2	1	1
15.	फरीदाबाद	10	3	4	1	1	1	0

Copyright©|JETNetwork,AllRights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: *2168-2259 (online)*
(*https://jetjournal.us/*)
Volume15, Issue 1, Jan-March–2025 Special Issue 1
ImpactFactor:7.665, Peer Reviewed and UGC CARE I

16.	रोहतक	24	9	4	2	1	0	1
17.	झज्जर	18	7	7	2	1	1	0
18.	महेन्द्रगढ़	19	8	7	2	1	0	1
19.	पानीपत	17	7	5	2	1	0	2
20-	मेवात / नुंह	25	11	10	1	1	1	1
21.	पलवल	20	7	7	2	2	1	1
22.	दादरी	11	4	4	1	1	1	0
	कुल	**411** (100%)	**146** (35.52%)	**139** (33.82%)	**48** (11.68%)	**42** (10.22%)	**21** (5.11%)	**15** (3.65%)

स्त्रोत् : हरियाणा सरकार, 2022, गजट, राज्य निर्वाचन आयोग, पंचकूला, हरियाणा

तालिका 6 में पांचवें पंचायती राज सामान्य चुनाव, 2022 की जिला परिषदों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को दर्शाया गया है। निर्वाचित जिला परिषदों में कुल 411 पद हैं। चुनी गई जिला परिषदों में 146 (35. 52%) पुरूष और 139 (33.82%) महिलाएँ सामान्य वर्ग से चुनी गई। अनुसूचित जाति वर्ग से पुरूष 48 (11. 68%) व 42 (10.22%) महिलाएँ चुनी गई। अन्य पिछड़ा वर्ग से पुरूष 21 (5.11%) और 15 (3.65%) महिला निर्वाचित हुई।

निष्कर्ष :

जिला परिषद् पंचायती राज संस्थाओं की उच्चतम इकाई है वर्तमान समय में हरियाणा राज्य में 22 जिला परिषदें कार्यरत्त हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू होने के पश्चात् से राज्य में 6 बार जिला परिषदों के सामान्य चुनाव संपन्न किये जा चुके हैं। छठा सामान्य पंचायती राज चुनाव वर्ष 2022 में संपन्न हुआ है। सातवें जिला परिषद् सामान्य चुनाव वर्ष 2027 में संपन्न होंगें।

संदर्भ सूची :

---

[i] शमशेर सिंह मलिक, हरियाणा में पंचायती राज वैधानिक एंव प्रशासकीय ढांचा, नई दिल्ली, राजेन्द्रा पब्लिकेशन, 2005, पृष्ठ संख्या 6,7

[ii] लोकतंत्र समीक्षा, सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली, खण्ड 48, अंक 1–4, जनवरी–दिसम्बर 2016, पृष्ठ संख्या 91–92

[iii] शमशेर सिंह मलिक, हरियाणा में पंचायती राज वैधानिक एंव प्रशासकीय ढांचा, नई दिल्ली, राजेन्द्रा पब्लिकेशन, 2005, पृष्ठ संख्या 6,7

[iv] हरियाणा सरकार, *रिपोर्ट ऑन जनरल इलेक्शन टू दी पंचायती राज इंस्टीट्यूट इन हरियाणा* (राज्य निर्वाचन आयोग, पंचकूला), 1994

[v] हरियाणा सरकार, *रिपोर्ट ऑन जनरल इलेक्शन टू दी पंचायती राज इंस्टीट्यूट इन हरियाणा* (राज्य निर्वाचन आयोग, पंचकूला), 2000

[vi] हरियाणा सरकार, *रिपोर्ट ऑन जनरल इलेक्शन टू दी पंचायती राज इंस्टीट्यूट इन हरियाणा* (राज्य निर्वाचन आयोग, पंचकूला), 2005

[vii] हरियाणा सरकार, *रिपोर्ट ऑन जनरल इलेक्शन टू दी पंचायती राज इंस्टीट्यूट इन हरियाणा* (राज्य निर्वाचन आयोग, पंचकूला), 2010

[viii] हरियाणा सरकार, *रिपोर्ट ऑन जनरल इलेक्शन टू दी पंचायती राज इंस्टीट्यूट इन हरियाणा* (राज्य निर्वाचन आयोग, पंचकूला), 2016

Copyright©|JETNetwork,AllRights Reserved